न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 4460/2018

प्रार्थी :–

हरीसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भगवतसिंह पुत्र सबलसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र शेरसिंह
3. गपसिंह पुत्र चैनसिंह
4. दलपतसिंह पुत्र चैनसिंह

जातियान राजपूत निवासीगण सिलारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

5. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,131 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री संग्रामसिंह चौहान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 22.08.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 32 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ व खसरा नम्बर 517/1 रकबा 32 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि आई हुई है जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. एक से चार के नाम से राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है । प्रार्थी उक्त खसरान की भूमि रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि पर काबिज है । प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के पश्चिम दिशा में कटाणी सार्वजनिक रास्ता आया हुआ है । अप्रार्थी सं. एक से चार ने हल्का पटवारी से मिलीभगत करके खसरा नम्बर 517 में से खसरा नम्बर 517/1 को गलत तरीके से तरमीम जो मौके से मेल नही नही खाकर केवल अप्रार्थी सं. एक व दो को फायदा पहुँचाने तथा अच्छी किस्म की भूमि जिस पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त व श्रम लगा है उसे हल्का पटवारी से मिलकर खसरा नम्बर 517/1 में मिलाया गया है जिसका प्रार्थी को पता चलने पर उसने दिनांक 9.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सिलारी में अप्रार्थी सं. एक को श्रीमान प्रभारी महोदय के समक्ष हाजिर होकर सही तरमीम करवाये जाने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं. एक नाराज हो गया व यह ऐलानियां धमकी दी कि उसने तो पटवारी से मिलकर तरमीम को सही करवा ली है तब प्रार्थी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र उक्त गलत तरमीम करवा ली है तब प्रार्थी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र उक्त गलत तरमीम को सही करवाने का निवेदन किया था जिसमें माननीय प्रभारी महोदय द्वारा न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर में 131 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देशानुसार प्रार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित हुआ है । वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का मालिक ही हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग खातेदार काश्तकार की हैसियत से चला आ

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

रहा है । सभी पक्षकारान इसी अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है । मौके अनुसार का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की गलत तरमीम होने की आड़ में अप्रार्थीगण, प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पर दखलन्दाजी करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी अपनी कब्जा काश्तसुदा भूमि को नक्शा ट्रेस में सही तरमीम कराने हेतु तथा अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन व पत्थरगढ़ी कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । सभी खातेदार भूमि खसरा नम्बर 517 के मौके पर बंट के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है, भूमि खसरा नम्बर 517/1 का जमाबदी में अलग बट्टा नम्बर दर्ज कर अलग अलग खातेदारी में इन्द्राज कर दी गई लेकिन हल्का पटवारी ने अप्रार्थीगण से मिलीभगत करके नक्शा ट्रेस में भूमि को पक्षकारो के काश्त के अनुसार तरमीम नही किया है, जिसके कारण मौके पर हमेशा विवाद बना रहता है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 32 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 517/1 रकबा 32 बीघा 03 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा ट्रेस में सही तरमीम करने का आदेश फरमावें तथा वादग्रस्त भूमि का मौके पर नाप व सीमाकंन करने का आदेश फरमावें तथा वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमावें । सीमांकन व पत्थरगढ़ी किये जाने के समय पुलिस ईमदाद की व्यवस्था करवाई जाने का आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये अप्राथी 1 से 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपना जवाब की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि :– प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कभी भी सुरक्षा हेतु मुटाम या दिवार या तारबन्दी कभी नही चाही है । अपितु प्रार्थी स्वयं अप्रार्थी की खातेंदारीसुदा कब्जाकाश्त सुदा जमीन धीरे–धीरे अपनी जमीन में मिलाने की कोशिश कर रहा है शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । प्रार्थी द्वारा बदनीयतीपूर्वक अप्रार्थी के कब्जाकाश्त की आराजी में धीरे धीरे खीसकने की प्रकिया करने पर अप्रार्थी ने प्रार्थी को मना किया परन्तु प्रार्थीगण हल्का पटवारी से मिलकर कॉकड़ मुटाम के अलावा अन्य अस्थायी मुटामों से माप कर जबरदस्ती अप्रार्थी की कृषि भूमि को स्वयं में मिलाने पर आमादा है । शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जावें कि अप्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी दिशा में स्थित स्थायी मुटाम भारतीय रेल्वे की पटरियों के मध्य से अन्य खेतो को पूरा करते हुए अप्रार्थी के खेत का सही माप व आंकलन मौके पर एवं भौतिक रूप से करवाकर प्रार्थीगण के मुटाम कायम किये जाते है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है । इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी हरीसिंह पुत्र चैनसिंह के नाम से खसरा नम्बर 517 में ही भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है । प्रार्थी का यह कथन है कि वह उक्त खसरान की भूमि के रेकर्डेड़

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

खातेदारान है तथा अपनी भूमि पर काबिज है, गलत है । प्रार्थी के नाम से काबिज है, गलत है । प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 517/1 में भूमि दर्ज नही है। हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट अनुसार मौके पर रेकर्ड अनुसार ही बंटवाड़ा पाया गया है। प्रार्थी का यह कथन है कि तरमीम गलत की गयी है ।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि कहा कि ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 32 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 517/1 रकबा 32 बीघा 03 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा ट्रेस में सही तरमीम करने का आदेश फरमावें तथा वादग्रस्त भूमि का मौके पर नाप व सीमाकंन करने का आदेश फरमावें तथा वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमावें । सीमांकन व पत्थरगढ़ी किये जाने के समय पुलिस ईमदाद की व्यवस्था करवाई जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है ।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 517 व 517/1 को वादग्रस्त बताकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया है प्रार्थना पत्र व उसमें संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 517 रकबा 32.3 बीघा में प्रार्थी हरीसिंह का 1/3 हिस्सा है व खसरा नम्बर 517/1 रकबा 32.3 बीघा में प्रार्थी खातेदार नही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी खसरानम्बर 517/1 की पत्थरगढ़ी व सीमाकंन कराने का अधिकारी नही है व खसरा नम्बर 517 में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा होने व संयुक्त खातेदारी के मध्य आपसी बंटवाड़ा नही होने से प्रार्थी अकेले सम्पूर्ण खसरा नम्बर 517 की पत्थरगढ़ी व सीमाकंन करवाने का अधिकारी नही है व भूमिधारी ने अपने जवाब में मौके अनुसार खसरा नम्बर 517 व 517/1 की तरमीम को सही रूप से रेवन्यु रेकर्ड में दर्ज किया जाना बताया है । इसलिए प्रार्थी का तरमीम सुदी का प्रार्थना पत्र भी मेन्टेबल नही है । उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने से खारिज किया जाता है ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner